

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

1259

प्रमाण-पत्र संख्या 19 आवेदन सं० 5344 dt 29/03/2019
व्यक्ति श्री Kamda Prasad Singh

मेरे पास आवेदन दिनांक है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निर्वाचित संख्यावाले और अवभारों का सविस्तर प्रमाण-पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दे।)

इसलिए मैं इसमें द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि यह संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संख्यावाले और अवभारों के बारे में नहीं है और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणिका में ता० 2006 to till dt से ता० 19 तक तलाशी की गयी और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संख्यावाले और अवभारों का पता चला As per index II चला है अतः समाप्त अवभार से मुक्त है।

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्ठादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र० निदेश		
				निष्ठादक	दावेदार	जिन्दा	मर्या	मृत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	maura - mainpur P.S. - Danapur P.S. No - 24 Khata No - 216 Tawar No - 5234 Plot No - 477 Distt - Patna Land Area - 15 decimal							

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

2. प्रमाण-पत्र की दिशा-पत्र को कर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्तें की उनके बारे में उल्लेख हो।

3. पट्टे की स्थिति में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवधारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवधार का पता नहीं चलता है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर)

(पदनाम)

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर)

(पदनाम)

कार्यालय:

तारीख:



मुख्य एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी:- इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (ट्रान्स्फर) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-40 के अधीन जो व्यक्ति (चाहयों) और अनुक्रमणियों (इन्डेन्स) की प्रवृत्तियाँ देखना चाहते हों अथवा उनकी प्रतिनिधि लेना चाहते हों किन्हीं निर्दिष्ट दस्तावेजों के अंकगणों के प्रमाण-पत्रों को बरकरार हो उनके अस्तित्व स्वयं करनी होगी। निबंधित कर का भुगतान करने पर चाहयों और अनुक्रमणियों उनके पास सामने रखदी जायेंगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण को किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद हुई गये संव्यवहारों और अवधारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा हुई गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों की खूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा किन्तु उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक

नाम संख्या

आवेदक श्री

का अवधार प्रमाण-पत्र द्वारा

का उनके पत्र संख्या

31-579

दिनांक

Kamla Prasad Singh

S.B.T., Gola Road, Buxar, Patna

दिनांक

29/3/2019

के प्रकरण में अग्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी,